हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-12-19 वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी को आज्ञा पेशी पर वकालतनामा पेश करने की हिदायत दी गई पत्रावली वास्ते वकालतनामा/रिपोर्ट T.D.R दिनांक 8-1-20 को पेश हो।	
08.01.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया गया प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 3 एस.टी.डी. में प्रस्तावित रिगरोड़ का वर्तमान समय में निर्माण होना है। प्रार्थी के कृषि भूमि में पत्थर नम्बर 139/242 (33), 139/243 (56), 138/243 (57), 139/244 (62) में वर्तमान समय में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता चालु हालात में है। अगर इसी रास्ता को रिंग रोड़ के रूप स्वीकृत करनें से प्रार्थी की निर्मित रिहायशी ढ़ाणी एवम् सिंचाई उपयोग के लिये निर्मित ट्युबैल का बचाव होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ना तो कोई रास्ता स्वीकृत करनें की मांग की गई है, यदि रास्ता स्वीकृत किया जाना है, तो सम्बंधित काश्तकार जिनकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाया जाना है, को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी ढ़ाणी एवम ट्युबैल का बचाव मात्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, राजस्थान कोलोनाईजेशन कन्डिशन शर्त 8 (2) के तहत पोषणीय नहीं पाये जानें से स्वीकार किया जाना जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान कोलोनाईजेशन कन्डिशन शर्त 8 (2) के तहत पोषणीय नहीं पाये जानें से वर्तमान स्तर पर खारिज़ किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.27 12:34:39 IST
Reason: SelfAttested